# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 02/2018

1. कालूलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां
2. पुष्पा बाई पत्नि श्री कालूलाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश सिंह पुत्र कालूलाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां
2. बृजेश पत्नि ओम प्रकाश पुत्री स्व0 श्री माणकचंद जाति राठी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां
4. गिर्राज नागर (किरायेदार) जाति धाकड निवासी निवासी बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ट नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007**

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्राथी :— श्री अजीत कुमार जैन
वकील अप्रार्थीगण 2 व 3:— श्री के0 के0 सोनी
वकील अप्रार्थीगण 1 व 4:— कोई उपस्थित नही
दायरा दिनांकः 06.12.2018

निर्णय दिनांक : 24.01.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वयोवृद्ध है जो चलने फिरने में असमर्थन है जो वरिष्ट नागरिक की श्रेणी में आते है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी का जायज पुत्र है। तथा अप्रार्थी कम 2 पौत्री है। जो प्रार्थी के पुत्र माणकचंद की पुत्री है। तथा अप्रार्थी कम 3 अप्रार्थी कम 2 का पति है। प्रार्थीगण का एक मकान ग्राम बमोरीकलां तह0 मांगरोल में स्थित है जो उसके 45 वर्ष पूर्व निर्मित किया जिसमें 3 घर कच्चे व बरामदा है। स्वयं प्रार्थी का लेकिन अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने आपस में बंटवारा कर रखा है आधा मकान अप्रार्थी कम नं0 1 ने अप्रार्थी कम 4 को किराये पर दे रखा है। इस प्रकार प्रार्थी के पास रहने का कोई आवास नही है तथा उनको बदेखल कर कब्जा कर रखा है तथा मकान में घुसने तक नही देते मकान में जाने पर मारपीट करता है इसी प्रकार प्रार्थी की भूमि आराजी खाता संख्या 7 रकबा 3.48 है0 पर जबरन कब्जा कर रखा है। तथा मांगने पर लडाई झगडा व मारपीट करते है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नही है। उन्हो गुजारा करने में काफी समस्या का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा मकान पर कब्जा करने के करण दरदर की ठोकरे खाना पड रहा है प्रार्थीगण बेसहारा व वृद्ध है जो किसी भी कार्य को वृद्धावस्था में नही कर सकते जबकि अप्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है। प्रार्थी की खाते की जमीन व मकान पर जबरन कब्जा कर लगभग 3 लाख वार्षिक की आमदनी होती है। इस प्रकार प्रार्थी को वृद्ध होने के कारण धारा 5 वरिष्ट नागरिक अधिनियम के तहत 10—10 हजार रूपया प्रति माह गुजारा भत्ता हेतु दिलवाया जावें तथा मकान में रहने के लिए मकान खाली करवाकर प्रार्थी को कब्जा दिलाकर अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.12.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री के0

की कोर्ट ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी कम 1 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तथा प्रार्थना पत्र वरिष्ट नागरिक अधिनियम से संबंधित होने के कारण अप्रार्थी कम नं0 2 व 3 ने जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें जवाब द्वारा अप्रार्थी कम 2 व 3 ने वर्णित किया कि वह अपना हिस्सा मुनाफे से जुपाकर प्राप्त करता है। तथा मकान पैतृक सम्पत्ति है। जो स्वयं ने स्वेच्छा से विभाजन कर परिवारजनो को संभलाया है। तथा माणक चंद व मुकेश माणकचंद की मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नि बरफा बाई को पक्षकार नही बनाया पुत्री व जवाई को पक्षकार बनाया है इस कारण यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा कालूलाल का मृतक पुत्र माणकचंद था। इसलिए गलत तथ्यों पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तथा भूमि मुनाफे से दे रखी है। तथा स्वयं मुकेश के साथ रहकर कोटा निवास कर रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र 2 व 3 की हद तक खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन व गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में बहस फाईनल उभयपक्ष दिनांक 24.01.2019 को सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को ही दौराने बहस दोहराया लेकिन उपरोक्त प्रकरण वरिष्ठ नागरिक अधिनियम धारा 5 2007 के द्वारा प्रस्तुत होने के कारण अप्रार्थी कम 1 मुकेश सिंह पुत्र होने के कारण तथा अप्रार्थी कम 2 पौत्री होने के कारण भरण–पोषण धारा 9 के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योकि धारा 1 क में कोई भी वरिष्ठ नागरिक बेटा, बेटी पौत्र व पौत्री से अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नही है। तो भरण पोषण के लिए आवेदन कर भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं अप्रार्थी कम 2 व 3 ने पैतृक सम्पत्ति मकान का मद नं0 2 में व जमीन का मद नं0 1 में वर्णन किया है। तथा विभाजन करना भी स्वयं ने ही बताया है। इससे यह साफ स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति मकान व जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। इसलिए प्रार्थी अपने जीवन यापन हेतु निवास हेतु मकान व जीवन यापन हेतु भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। भरण पोषण अधिनियम धारा 9 के तहत आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीगण को 4000–4000 रू0 प्रतिमाह पृथक–पृथक जीवन यापन हेतु गुजारा भत्ता देवे तथा निवास हेतु जो अप्रार्थी कम 4 के पास किराये से है। उसके बेदखल किये जाने के आदेश किये जाते है तथा उक्त परिसर में जो प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित है, 1/2 आवास खाली कर प्रार्थीगण को निवास हेतु कब्जा सुपुर्द करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना